श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह संभव नहीं है। हाफ-एन-आवर डिस्कशन पहले किया जाना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, you don't want this to be taken up after the Half-Hour discussion.

SOME HON. MEMBERS : Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right. Now we will take up Half-An-Hour Discussion.

17.32 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

(Pollution of Yamuna Water)

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के एजेण्डे में अतारांकित प्रश्न संख्या 91 पर आधे घंटे की चर्चा उल्लिखित है। मैंने इसके लिए नोटिस दिया था जिसको स्वीकार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह जी, जो कि इस वक़्त यहां नहीं हैं, उनकी तरफ से प्रश्न का जवाब आया था। उन्होंने संभवत: अपने प्रश्न के जवाब को पढ़ा होगा। इस प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में उन्होंने कहा है—

> "दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली के लिए यमुना से लिया जा रहा कच्चा पानी सामान्य तौर पर अच्छी कोटि का है।"

मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में सूचना देने वाले जो अधिकारी हैं, उन्होंने सूचना देते समय इस बात का ध्यान रखा है या नहीं कि केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी के जल के बारे में एक सर्वेक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट हिन्दुस्तान के कई अखबारों में छपी है, नवभारत टाइम्स में छपी है, उसको उन्होंने देखा था या नहीं, मैं नहीं जानता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे कोट कर देता हूं। चार सितम्बर, 1983 के नवभारत टाइम्स में यह रिपोर्ट छपी है—अगर माननीय मंत्री जी यहां होते तो मैं उन्हें भी यह पढ़ कर सुनाता, जिससे कि उनका दिमाग साफ हो जाता है, यह रिपोर्ट इस प्रकार है—

> "केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की जल सप्लाई के लिए यमुना नदी से लिए जाने वाले जल का 75 प्रतिशत भाग दूषित होता है। अध्ययन के अनुसार केवल तीन चौथाई नगरीय क्षेत्र में ही सीवर की व्यवस्था है तथा प्रतिदिन करीब पांच लाख 15 हजार किलो लीटर जल 17 खुले नालों के जरिए यमुना नदी में गिरता है।"

यह रिपोर्ट है केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की। यही नहीं उसने इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कितने नाले खुले हैं और कितने बन्द हैं। इन नालों से कितना प्रतिशत पानी आता है। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता, मंत्री जी को जानकारी के लिए इतना ही बताना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत पानी प्रदूषित है।

यह जो जवाब दे दिया कि "जी नहीं" जो शायद जल प्रदाय संस्थान का बनाया

[श्री राम लाल राही]

हुआ है, उसने जवाब दे दिया वह आपने यहां बता दिया। मैं नहीं जानता कि यह जवाब आपने कहां से और किस तरीके से दे दिया। इसको मन्त्री महोदय अपने उत्तर में स्पष्ट करने का कष्ट करें। उनके अधिकारियों ने इस सूचना को देखा या नहीं देखा। अगर देखा तो क्या यह रिपोर्ट सही है या आपके नगरीय क्षेत्र के जिन अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है, यह सही है? दोनों में से कौन-सी सही है और कौन-सी गलत है, स्पष्ट करें। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो उन अधिकारियों को निकालना चाहिए जिन्होंने इस रिपोर्ट को छपवाया है। नहीं तो जिन लोगों ने जवाब दिया है उनके खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी को मालूम है या नहीं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आज जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। कई अधिकारियों को टेलीफोन मिलाया, कई अधिकाकियों से बात हुई। कुछ तो यह समझे कि अगर हम कोई बात बता देंगे तो हो सकता है कुछ उल्टा-सीधा हो जाए और हमारी नौकरी चली जाए, इसलिए छुपाते रहे। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि 4 जगहों से यमुना का पानी साफ किया जाता है। पहला नजीरा बाद, दूसरा चन्द्रावल, तीसरा हैदरपुर और चौथा ओखला। ओखला बन्द पड़ा है। करीब 5-6 महीने हो गए हैं ओखला का बन्द है। मैंने जानकारी करनी चाही तो अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि वहां का पानी इतना अधिक गंदा है, दूषित है कि इसको साफ करके पीने के लिए सप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए वह बन्द पड़ा हुआ है। जब पानी एक जगह इतना गन्दा है कि उसको साफ करके पीने के लिए सप्लाई नहीं किया जा सकता तो फिर इस नगर की गन्दगी बहकर यमुना में जाती है, यमुना में गिरता है जिससे कितना जल दूषित होता है।

आपके जवाब से "मैं नहीं जानता कि कोई मौत नहीं हुई" मैं सहमत हूं। जब आपको यही नहीं मालूम कि कितना जल खराब है, विभागों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, एक साथ बैठकर कोई सलाह-मशविरा ही नहीं किया जाता तो सही जवाब कैसे दिया जा सकता है। आप सही काम क्या करेंगे, इस पर मुझे शक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि देश में कितनी चीनी मिलें है। जितने भी रासायनिक उत्पादन के संस्थान है, उनसे निकलने वाला पानी मैला है, उसको कहीं एकत्र करने, रोकने और सुखाने की व्यवस्था किसी स्थान में नहीं है। यही नहीं वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया है कि चीनी मिलें जो शीरा कच्ची जमीन में गड्ढे खोदकर स्टोरेज करती है वह जमीन में चला जाता है। क्योंकि इसमें यह रासायनिक तत्व होता है इसलिए धरती के पानी को गन्दा करता है। आपने क्या कहीं इस बात का प्रयास किया कि इन मिलों का गन्दा पानी निकलता है और नदियों के अच्छे पानी को दूषित करता है, यह नदियों में न मिलने पाए। इसको रोकने का आपने कोई उपाय किया है? अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते तो इसके लायसेंस रद्द कीजिए।

एक कानून है "मिनी-मीसा" जिसको कहते हैं, पूरा नाम उसका शास्त्री जी बताएंगे, उसका उपयोग कीजिए।

एनoएसo एo जो आपने बनाया है, उसका इस्तेमाल किसी मिल-मालिक पर अवश्य कीजिए। देखिए कहीं इससे रोक लगती है या नहीं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आप इस तरफ दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता था इस बात के लिए कि प्रधान मन्त्री जी ने इस देश में एक पर्यावरण विभाग खोल दिया था ताकि वह देखे कि जल और वायु मण्डल कहां से दूषित हो रहा है, उसको चैक करे। लेकिन इस सब दिखावे के कारण कुछ शब्द कहना भी चाहूं तो अन्दर से मन नहीं होता और मुंह से शब्द निकल नहीं पाते। सवाल जल-प्रदूषण के बारे में है लेकिन निर्माण और आवास मन्त्री जवाब देते हैं, इसका क्या मतलब है? आपसे तो किसी इमारत के गिरने, टूटने या फूटने के बारे में कहते और आप जवाब देते तो कुछ समझ में आता। इसका जवाब सिंचाई मन्त्री को देना चाहिए था जिनका कंट्रोल नदियों पर है, पानी पर है। एक जमाना था जब धन्वन्तरि जी ने कहा था कि "जब शरीर रोगों से पीड़ित हो तो गंगा जल अचूक औषधि है"। आज वही गंगाजल अचूक औषधि न रह कर जहर बन गया है। धनवन्तरि जी के विचारों पर आज लोग संदेह करने लगे हैं। मैंने देखा है कि अब कोई नदी ऐसी नहीं है जिसमें गन्दे नाले का पानी, शुगर फैक्ट्रियों का पानी और अन्य रासायनिक कारखानों का पानी न गिरता हो। इसको आपने रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की है। दिल्ली की व्यवस्था के लिए निर्माण और आवास मन्त्री जी जिम्मेदार हैं। इनको देखना चाहिए कि मल-मूत्र नदी में न बहने पावे और सार्वजनिक स्थानों पर लोग गन्दगी न कर सकें। मन्त्री जी सुबह के समय गाड़ी से निकलें, किसी रेलगाड़ी पर बैठकर तो देख सकते हैं कि किस तरह रेल लाइन के किनारे-किनारे सैकड़ों लोग खुले मैदान में जाकर पाखाना करते हैं। इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। इनके लिए आप शौचालय नहीं बना सके, क्यों नहीं बना रहे हैं। खुले मैदान में लोग पेशाब और पखाना करेंगे तो यही जाकर के नालों के जरिये से नदी में गिरता है। एक तो धरती को और दूसरे पानी को दूषित करता है। इसको रोकने की जरूरत है। इसको रोकने का उपाय आप नहीं करेंगे तो आप का यह पर्यावरण विभाग निरर्थक है, बेकार है। यमुना से उत्पन्न दूषित जल के संबंध में बहस करने का अवसर मिल गया। इससे रास्ता खुल गया है कि हम आपको जागृत कर सकें कि देश की नदियों की क्या हालत है? लखनऊ में गोमती का पानी गन्दा है जो लोगों को इस्तेमाल के लिए मिल रहा है। गोला सुगर फैक्टरी उत्तर प्रदेश का गन्दा नाला सरायन नदी में और फिर गोमती में जाकर गिरता है। लखनऊ तक पानी गन्दा करता है। इस गन्दगी का नतीजा क्या होता है। नदियों में एक-एक दिन में दसियों हजार टन मछलियां मरी हुई, ऊपर तैरती हुई आप देख सकते हैं। शुगर फैक्ट्री चाहे महोली की हो या गोला सुगर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की या देश के दूसरे भागों में चीनी मिलें हों या रासायनिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां हों उनसे निकलने वाले मल को रोकने के लिए, उसको सुखाने के लिए आप उनसे कहें कि वे पक्के टेंक इसके लिए

[श्री राम लाल राही]

बनायें और उनमें मल को जमा करें और पानी मे मल को न बहने दें। आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से एक तरफ आप डाक्टर बढ़ाते चले जाएंगे और दूसरी तरफ मरीजों की संख्या गन्दा पानी पीने से निरन्तर बढ़ती चली जाएगी।

कुछ दिन पहले मैं घाघरा नदी के किनारे गया था और वहां मैं आठ दिन पैदल घूमा हूं और मैंने वहां देखा है कि किस तरह से लोग गन्दा पानी पी-पी कर अपना जीवन बिता रहे हैं। उनको साफ-सुथरा पानी पीने को नहीं मिलता है। सीतापुर की वही हालत है।

दिल्ली में सीवरेज का अभाव है। जब तक इस समस्या को आप हल नहीं करते तब तक यमुना के पानी को आप साफ रख नहीं पाएंगे। आपको विचार करना होगा कि सीवरेज को कहा निकाला जाए, किस जगह यमुना में गिराया जाए। यमुना नदी के किनारे दिल्ली ही नहीं बसी हुई है जो राजधानी है बल्कि मथुरा जैसी पवित्र नगरी भी बसी हुई है। यह पानी सीवरेज का गन्दा पानी वहां जा कर लोगों को मिले ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यमुना का गन्दा पानी अगर दिल्ली वालों के लिए जहर है तो उनके लिए भी जहर है। दिल्ली वालों को बचाने के लिए पांच-दस किलो-मीटर की दूरी पर आप इस गन्दे पानी को यमुना में गिरा दें और आगे जाकर मथुरावासियों को वह पानी आप पीने को दें तो उनके जीवन को संकट में डालना होगा। सीवरेज की समस्या को आप हल करें। खुले नाले जो बहते हैं और उनका पानी यमुना में जाकर जो गिरता है, इनको रोकने का आप प्रयास करें।

आपने दिल्ली में आठ-नौ ट्यूबवैल बनाए हैं। उनसे पानी मिल रहा है। और भी इस तरह के ट्यूबवैल आप बनाने की योजना बनाएं और देखें कि कितने बनवाने की आप में क्षमता है और दिल्ली के साठ लाख वासियों को आप इन से पानी पहुंचा सकें तो निश्चित रूप से साफ पानी लोगों को मिल सकता है और लोग रोग-मुक्त रह सकेंगे। अस्पतालों में दवाइयों की जो मांग है और जिसके बारे मे आज भी सवाल हुआ है; उसमें भी कमी आ सकती है और उस समस्या का भी समाधान हो सकता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जल की क्वालिटी की चैकिंग की भी आपके यहां कोई व्यवस्था है और अगर है तो कितने दिनों के बाद वह चैकिंग होती है और किस प्रकार होता है।

यह जो आपका केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण बोर्ड है इसका कोई कंट्रोल दिल्ली की वाटर सप्लाई पर है कि नहीं ? इससे कोई मश्विरा मिलता है कि नहीं ? और आप लेना जरूरी समझते हैं कि नहीं, इसका भी स्पष्टीकरण करेंगे।

गन्दे जल के कारण तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इस देश की नदियां प्रदूषण के कारण आज जहर उगल रही हैं और इसी जहर के कारण तरह-तरह की बीमारियों का जन्म हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि जो उपाय आप कर सकें इस जल को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए प्रयास अवश्य करें। चाहे

जमुना का जल हो, गंगा जल हो, सरायन नदी का हो; गोमती का हो, कृष्णा का हो, कावेरी का हो या ब्रह्मपुत्र का जल हो सभी के जल को पवित्र रखना आपका कर्त्तव्य और धर्म बन गया है । और जैसा तुलसीदास जी ने भी कहा है शरीर की रचना के पांच तत्वों से होती है, उन पांच तत्वों में से जल भी एक तत्व है । इसको अगर आप खराब होने देंगे तो मनुष्य के जीवन के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा जिसको सम्हाल नहीं पायेंगे ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जहां तक यह चिन्ता व्यक्त की है कि पानी साफ मिलना चाहिए और पौल्यूशन नहीं होना चाहिए वहां तक मैं समझता हूं तमाम हाउस सहमत होगा । लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाये हैं उनका मैं भाषण के तौर पर जवाब नहीं दूंगा और जो पोइंट्स है उन्हीं के सिलसिले में अर्ज करूंगा ।

सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सेन्ट्रल बोर्ड प्रीवेंशन फौर कंट्रोल आफ वाटर पौल्यूशन ने यह कहा है कि 70 परसेंट गन्दे नाले और दूसरे जरिये से, सोर्सेज से गन्दा पानी जाता है और वह पानी हमें पीने को मिलता है, दरअसल यह बात नहीं है हमारे यहां दो जरिये हैं पानी पहुंचाने के और मैं अर्ज करूंगा : .

> "The Central Board for Prevention & Control of Water Pollution has in its report of 1978-79 classified the water in the river Yamuna from Hathnikund to upstream of Delhi above Wazirabad Water Works as "Good" (Classification "B"). The water in the reach below Wazirabad Barrage to upstream of Okhla Barrage has been considered as "Bad" (Classification "E"). However, it is not so bad that it cannot be treated to make it safe and potable."

अपर स्ट्रीम आफ बजीराबाद वाटर वर्क्स से जो पानी आता है वह साफ सुथरा आता है और वजीराबाद के नीचे का जो आता है वह 'ई' क्लास का है । जो आपने कहा कि तमाम गंदे नाले और दूषित पानी, मल मूत्र शामिल हो जाता है वह दरअसल नीचे के हिस्से में है, वजीराबाद से नीचे के हिस्से में ।

> "No water for drinking purposes is drawn from the river Yamuna below Wazirabad barrage."

लिहाजा आपकी चिन्ता का कोई सबब नहीं है क्योंकि उस हिस्से का पानी लिया ही नहीं जाता है । देखना यह है कि हमारी तरफ से जो प्रयास होता है, एक बात जनरल तौर पर कहना चाहता हूं :

> "Raw water drawn for above is of good quality and the surface water is being treated in treatment plants before supply to the consumers."

अत: आपने यह भी कहा आपके यहां कोई ऐसी ऐजेन्सी है जो इस चीज को देखे और पानी साफ करने के बारे में रिपोर्ट दे ? तो मैं अर्ज करूंगा हमारे यहां लेबोरेटरीज हैं और उनमें पानी बराबर टैस्ट किया जाता है ।

और वह टैस्ट अलग-अगल ऐजेन्सीज को रैफर किया जाता है जो कि इसकी माहिर है और इसके बारे में अपनी राय रखती

[श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ]

हैं। उनकी राय मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि सदन और माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि हमारा जितना प्रयास हो रहा है, वह गलत नहीं किया गया है।

"According to the DWS & SDU, strict quality control is maintained on the supply of water. Besides, full laboratory test is carried out round the clock at various treatment plants. Central Laboratory also exercise an independent check not only on the quality of water on the reservoirs as well as consumer taps by carrying out chemical and bacteriological test. Results of the analysis are sent to (i) The Adviser, PHE, Ministry of Works & Housing, (ii) National Institute of Communicable Diseases, Ministry of Health, (iii) the Municipal Health Officer, MCD and (iv) Zonal Field Laboratory, Neeri."

जो बात मैं कह रहा हूं उस पर माननीय सदस्य गौर करें जो कि बहुत काम की है।

The Undertaking has reported that no adverse report about the quality of water has been received from any of these authorities.

जिसके मायने यह हुए कि हमारी तरफ से जो प्रयास हो रहा है, जो एजेन्सीज इस बात को तय कर सकती है और जो टैक्नीकल लाग हैं, टैस्ट कर सकते हैं, वह बराबर इस बात को बता रहे हैं कि हमारे यहां से जो टैस्ट हो रहा है, वह ठीक हो रहा है।

आपने अपनी तकरीर में ज्यादातर इस बात पर जोर दिया है और मैं समझता हूं कि आनरेबल हाउस इस बात को महसूस करेगा कि आपने जो लच्छेदार तरीके से तकरीर की वह काबले-तारीफ है। ऐसी तकरीरें ज्यादातर बाहर प्लेटफार्म पर असर करती है लेकिन जहां डाटाज दिये जाते हैं वाक्यात हैं, उनको देखते हुए आपका कथन सही नहीं उतरता है। तकरीर हम भी करने के आदी हैं, बाहर प्लेटफार्म पर अच्छी तकरीर कर सकते हैं, पब्लिक को रिझा सकते हैं।

आपने एक बहुत इम्पार्टेन्ट बात कही कि ओखला को क्यों बन्द कर दिया गया? उसकी वजह है—

Okhla was closed because treatment capacity above Wazirabad was augmented where water quality was better and treatment cost less, not because Okhla water was polluted.

अब आपने फरमाया कि आइन्दा आप को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ प्रोकाशन्ज आप लें। मैं अर्ज करूंगा कि हम आइन्दा क्या करने जा रहे हैं और क्या सिलसिला है—

For Capita availability: The present per capita availability of water in the urban areas of Delhi is 55 gallons daily as compared with only 17 gallons daily in Madras and 30 gallons daily in Bombay and Calcutta.

Feature requirements: The population of Delhi by 1985 is expected to be 72 lakhs approximately. The requirement of water for this population works out to 472 mgd. By 2001 A.D. the population of Delhi is likely to be around 128 lakhs and the requirement of water for this population is estimated to be 1150 mgd.

यह बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं,

हाउस इस पर खासतौर से तवज्जह करेगा

Augmentation of water supply : To meet the requirement of 472 mgd by 1985, the following schemes are in progress/proposed :

(1) A 100 mgd water Treatment plant is being set up at Shahdara for supply of Ganga water to Delhi. The source of raw water is the Ganga Canal at Murad Nagar. The Delhi Water Supply and Sewage disposal Undertaking has reported that test and trial runs of the treatment units and flushing of mains are in progress. As reported by the Undertaking, the first phase of the Treatment Plant is likely to be commissioned by the end of this year and the entire plant by the end of 1984.

(2) Construction of the six Ranney Wells is in progress. These Ranney Well wills yield 15 mgd of water. Two Ranney Wells have been commissioned and the remaining four Ranney Wells will be commissioned progressively by 1983.

(3) Investigations are in progress for sinking additional Ranney Wells to yield 20 mgd of water. Trial bores at three places have been completed and the estimates have been prepared.

(4) There is a proposal to exchange sewage effluent for raw water with the neighbouring States. This is expected to augment water supply by 34 mgd.

ये प्रयास आइन्दा किए जाने वाले हैं। जो कुछ प्रयास हमने किए हैं, वे मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं समझता हूं कि बाकी जो बातें माननीय सदस्य ने फरमाई हैं कि रेलवे लाइनों के चारों तरफ लोग खुले तौर पर पाखाना फिरते हैं वगैरह, वे तमाम बातें आज के डिसकशन में नहीं आतीं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें उनमें जाने की जरूरत नहीं है।

श्री राम लाल राही : देश की नदियों का जल प्रदूषित है, यह तो उसमें आता है।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : मैंने उसके बारे में जवाब दिया है।

श्री राम लाल राही : आपने यह नहीं बताया कि देश की विभिन्न फैक्टरियों का पानी नदियों में बह कर उन्हें गन्दा करता है, उनका जल प्रदूषित हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : आनरेबल मेम्बर इस बात से सहमत होंगे कि जिस क्वेएचन के जवाब के सिलसिले में यह हाफ-एन-आवर डिसकशन है, मैंने उसी की सीमा में रह कर इस डिसकशन का जवाब दिया है। आज यह डिसकशन देश की नदियों के बारे में नहीं है।

माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे मैं सहमत हूं। मगर इसके लिए राज्य सरकार पहले से ही सजग है और उसने जो कुछ कदम उठाए हैं, वे मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

क्या यह सच नहीं है कि यहां दिल्ली

[श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ]

में सप्लाई किए जाने वाले पानी में कीड़ों का सैम्पल समय-समय पर कुछ माननीय सांसदों ने इस सदनमें पेश किया है, यदि हां, तो वे कीड़े साफ और शुद्ध पेय-जल में कैसे प्रवेश कर जाते हैं ? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि पेय-जल की शुद्धता पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता ? यमुना नदी के पानी में कारखानेदारों द्वारा प्रदूषण फैलाने पर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए उन्हें कौन से कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं ? क्या यह सच है कि यमुना पार की कालोनियां तथा दिल्ली की गरीबों की अन्य कालोनियां में शुद्ध-जल सप्लाई करने की संतोषजनक व्यवस्था नहीं है, यदि हां, तो इसके लिए सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की है ?

क्या गन्दा पानी नदी में न गिरा कर कहीं और ले जाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती, जिससे सिंचाई का काम लिया जा सके ? क्या यह सच नहीं है कि वाटर पालूशन प्रिवेंशन एक्ट को सख्ती के साथ लागू नहीं किया जाता ? हमारे देश में जनमानस द्वारा सब से पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। इलाहाबाद, वाराणसी और पटना आदि बड़े शहरों की सारी गन्दगी बहकर गंगा नदी में पड़ती है। इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है यह एक जनरल सवाल है। बाकी यहां से ताल्लुक रखता है।

श्री हरीश रावत : माननीय मन्त्री जी ने कुछ शंकाओं का निवारण करने की कोशिश की है। मगर यदा कदा यह बात अखबारों में आया होती रही है। डी. सी. एम. केमिकल है, शहादरा की फैक्ट्रीज हैं और और भी कई ड्रेनेजेज हैं जिनका आउट-लेट वहां पर है जहां से पीने का पानी उठाया जाता है। इसके अलावा रोजाना हम देखते हैं कि जो पीने का पानी आता है उसको अगर हम ब्वायल करें तो उसका कुछ कंटेन्ट नीचे उस के अन्दर रह जाता है। उसका आठवां हिस्सा लगता है कि जैसे वह कोई गन्दा लिक्विड हो। इस से साबित होता है कि थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मात्रा में पानी में इस तरीके की गन्दगी रह जाती है जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक शंका है कि यहां पर पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं, जो सेंट्रल वाटर पाल्यूशन बोर्ड है, उन लोगों ने एक स्टडी कान्डक्ट करवायी थी जिस में उन्होंने कहा है कि सवा पांच लाख किलो लीटर वेस्ट वाटर और 300 टन के करीब डिजाल्व्ड सालिड ऐंड नान-डिजाल्व्ड सालिड ऐसा है जो उस स्थान पर गिरता है जहां से पीने का पानी जमुना नदी से उठाया जाता है और उस के लिए एन.डी.एम.सी. को यह सजेश्चन भेजा है कि एन.डी.एम.सी. का यह मारल आबलिगेशन है कि जहां से यह पानी उठाया जाता है वहां से उठाने के बाद उस को डी पाल्यूट करे और पीने के लायक बनाने का वह प्रयत्न करे, इस तरीके का कोई सजेश्चन उनको प्राप्त हुआ है या नहीं ?

दूसरे, यह सवाल केवल दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के अलावा हिन्दुस्तान के

अन्दर जितनी ओवर-फ्लोइंग हमारी नदियां हैं ये नदियां हिंदुस्तान की जितनी टोटल वाटर-रिक्वायरमेंट है उसका 60 से 65 परसेंट पूरा करती हैं और लगभग हर नदी ऐसी है कि जिस के किनारे कोई न कोई बड़ा नगर बसा है और उस नगर में जितनी फैक्ट्रीज हैं उनका सारा वेस्ट उसी में गिरता है। दिल्ली में तो मैंने मान लिया कि बहुत सेन्सिटिव एरिया है, बड़े हाई क्लास के लोग रहते हैं, पार्लियामेंट यहां है और गवर्नमेंट आफ इंडिया यहां पर है तो उस मात्रा तक पानी को यहां पाल्यूट नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जहां छोटे नगर हैं, जहां इतनी जागृति नहीं है, जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, बनारस है, पटना है इन सब जगहों पर इतनी हाई टेकनीक्स नहीं हैं या वहां के म्युनिसिपल बोर्ड्स वगैरह उतना खर्च नहीं कर पाते हैं तो उन जगहों में भी लोगों को अच्छा पीने का पानी मिले, इसके लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं, आपके पास एयर पाल्यूशन बोर्ड है, सेंट्रल लेवेल पर भी और स्टेट लेवेल पर भी मगर जो नदियां हैं इन से जितना पाल्यूटेड वाटर लोगों को पीने को मिल रहा है इसके कंट्रोल के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह चूंकि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई आपके मन्त्रालय के अधीन है और सेंट्रल लेवेल पर आप उसको देखते हैं तो इस विषय में आप डिपार्टमेंट आफ एन्वायरनमेंट को कोई सुझाव देंगे कि वह नदियों के लिए भी इस वाटर पाल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई अलग से बोर्ड बनाए ।

1972 को जो सर्वे लिस्ट है जिस के आधार पर हम ने प्लान टार्गेट फिक्स किए हैं कि इतने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, उसके अनुसार लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अभी भी अधिकतर जनसंख्या ऐसी है कि जो गन्दे पानी पर निर्भर करती है जिसकी वजह से लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल और इस प्रकार के ट्रबल हो रहे हैं। तो इस विषय पर कोई रिपोर्ट उनके पास है कि गन्दा पानी पीने से गांवों और शहरों के रहने वाले लोगों को कितनी विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है और लोगों को मीठा पानी उपलब्ध करवाने में कितनी कास्ट आएगी ? उसमें कितना समय लगेगा जब कि लोगों को स्वच्छ मीठा पानी पीने को मिल सकेगा ?

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने सेंट्रल बोर्ड फार प्रिवेंशन आफ वाटर पोल्यूशन 1978 की रिपोर्ट देकर कहा कि यह नहीं है कि दिल्ली में जमुना का पानी पीने योग्य नहीं है। मैं आपको 1982 की रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जमुना का पानी मनुष्य के पीने योग्य है ही नहीं। मेरे विचार में 1978 और 1982 में बड़ा फर्क होता है। कृपा करके आप इसको देख लें।

मैं कहना चाहता हूं, कि केवल दिल्ली का ही सवाल नहीं है। जमुना दिल्ली में ही समाप्त नहीं हो जाती है। जमुना दिल्ली से आगे भी जाती है और वह आगे जाकर गंगा में मिलती है। जमुना का प्रदूषित पानी केवल दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों के लिए प्रदूषित हो जाता है। हम समझते हैं कि पानी को प्रदूषित करने में आपको महारत हासिल

[प्रो० अजीत कुमार मेहता]

है। करीब करीब डेढ़ दशक पहले कहा गया था कि आप ने गंगा के पानी को इस हद तक दूषित कर दिया है कि गंगा में आग लगा दी । बरौनी से कचरा-कूड़ा गिरने के कारण गंगा के पानी में आग लग गई। मुझे पता नहीं कि आपको पानी स्वच्छ करना चाहते हैं या नहीं ? मेरे विचार में पानी को स्वच्छ करने का आपका विचार है। मेरी राय है कि इसके बारे में आपको पर्यावरण मंत्रालय से भी राय ले लेनी चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण का विषय भी हो जाता है।

आपने अपने प्रश्न के जवाब में कहा कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे पर जो लोग मल-मूत्र करते हैं, उससे इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बरसा होती है, तो उस समय मल-मूत्र बह कर कहां जाता है, केवल जमुना नदी में आता है। इस प्रकार जमुना का पानी दूषित हुआ या नहीं—मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं। इस बारे में आप को विचार करना चाहिए।

इसी संदर्भ में श्री रावत जी ने इस बारे में बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली म्यूनिसिपल वाटर वर्क्स के पास सिर्फ 130 मिलियन-गैलन-डे की क्षमता का एक संयत्र लगा हुआ है, जबकि से कम से कम 250 मिलियन-गैलन-डे के संयंत्र की आवश्यकता है। जब दिल्ली के जमुना अन्दर आप कूड़े-कचरे वाला पानी गिरा देते हैं, तो वह भले ही दिल्ली को असर न करता हो, लेकिन दिल्ली के आगे जो शहर हैं, पानी का आगे का जो सारा सिस्टम है, वह प्रदूषित हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले 11 फरवरी 1982 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि जो भी उद्योग गन्दा पानी गिराए, उसको अच्छी तरह से साफ करके ही गिरायें और इसकी शपथ लें। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसी संदर्भ में रुड़की विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डा० जी० एस० भार्गव ने सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसमें उन्होंने बहुत-सी अनुशंसायें भी की हैं। वे इस प्रकार हैं—

(1) sewerage system in the city should be completed ;

(2) new facilities for treatment should be provided ;

(3) pending this construction, cheap measures like oxidation ponds should be estabiished ;

(4) Industry situated along Yamuna may be asked to improved their technology to slush down waste sludge generated.

(5) जहां-जहां गन्दा पानी जमा है, वहां जल-कुम्भी लगा दी जाय, क्योंकि उस में जल मल सोखने की अद्भुत क्षमता है।

अन्त में उन्होंने कहा है कि यमुना में पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए यह एडविजेबिल नहीं है कि उस पानी को मनुष्यों द्वारा पीने के काम में लाया जाय।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं —यमुना के जल के अलावा यमुना के अण्डर-ग्राउण्ड वाटर भी इफेक्टेड होता है और आपने जहां-जहां ट्यूब-वैल की शृंखला

कायम कर रखी है, उन के द्वारा जो पानी सप्लाई करते हैं वह भी प्रदूषित हो जाता है।

इन तथ्यों के सन्दर्भ में मैं आप से जानना चाहता हूं—

1. दिल्ली खुला हुआ मल-मूत्र त्याग करने से जो बह कर यमुना के पानी को प्रदूषित करता है उस को रोकने के लिए आप के पास कोई उपाय है या नहीं है ? यदि नहीं है तो क्या इस पर काबू पाने के लिए आप विचार कर रहे हैं ?

2. जिन अनुशंसाओं को मैंने अभी गिनाया है—उन को लागू करने के बारे में आप का क्या इरादा है ?

3. सुप्रीम कोर्ट का जो 11 फरवरी, 1982 का फैसला है उस के अनुसार कार्य करने का आप का इरादा है या नहीं है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Harikesh Bahadur.

SHRI HARISH RAWAT (Almora) : Mr. Harikesh must tell something about political pollution done by him.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Such political pollution should have been taught by them, but he ignored that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In all discussions Harikesh gets a chance.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I always get a chance (*Interruptions*). Political pollution is created by them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right, you continue.

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, यमुना नदी का पानी बहुत ही गन्दा होता जा रहा है। इस के बारे में तमाम समाचारपत्रों में भी खबरें छपी हैं। 5 जून के नवभारत टाइम्स में छपा था कि यमुना में जहर घुल रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी बातों को ध्यान से सुन कर जवाब दें। उस अखबार में बहुतसी बातें लिखी थीं—जिनमें एक यह भी थी कि नदियों के किनारों पर अधजली लाशें पड़ी बहती हैं, उन को तमाम पक्षी खाते हैं और जो पड़ी रह जाती हैं उन में किटाणु पैदा हो जाते हैं। गंगा नदी के बारे में तो यह कहा गया है कि उस में सब से ज्यादा अधजली लाशें बहा करती हैं, इस लिये गंगा के पानी में भी अधिक ज़हर पैदा हो गया है। जहां तक यमुना का सम्बन्ध है उस के बारे में तो सभी जानते हैं—नजफगढ़ का नाला गिरता है, बारापुला महारानी बाग और कालका जी के नाले आ कर गिरते हैं जिन से पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है।

अभी राही जी ने बताया—ओखला का वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट इस लिये बन्द है कि वहां का पानी इतना ज्यादा गन्दा हो गया है कि ट्रीटमेन्ट के बाद भी वह पानी किसी काम के लायक नहीं रहता है। इसी लिये उस को बन्द कर दिया गया है। राही जी की वहां के किसी अधिकारी से आज ही बात हुई है और उस ने यह जानकारी उन को दी है। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि वहां का प्लाट इस लिये बन्द किया गया है कि उस में कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया है। इन दोनों बातों में सच क्या है—

[श्री हरिकेश बहादुर]

इस बात की जानकारी सरकार को होनी चाहिये।

एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि विश्व की जितनी नदियां हैं उन में जो खारापन है, यमुना में उन के मुकाबले तीन गुना खारापन ज्यादा है।

इस प्रकार की भी एक खबर नवभारत टाइम्स में 15 सितम्बर को छपी थी, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी। मैं आम तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की नदियों का पानी बहुत ही दूषित होता जा रहा है। यमुना और गंगा नदियां बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं जिस में गंगा तो और भी अधिक पवित्र मानी जाती है। आज गंगा की यह हालत हो गई है कि सैकड़ों कारखानों का गन्दा पानी और 112 से ज्यादा नगरों का गन्दा पानी गंगा में पड़ता है, जिससे उस का पानी बहुत ही अधिक खराब हो गया है और सेन्ट्रल बोर्ड फोर प्रीवेंशन एण्ड कंट्रोल आफ वाटर पोलूशन का कहना है कि गंगा का सब से अधिक पोलूशन हुआ है। यमुना के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसका खारापन बहुत बढ़ गया है और गंगा के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसका प्रदूषण बहुत बढ़ गया है लेकिन वास्तविकता यह है कि पानी का इतना अधिक प्रदूषण हुआ है कि जांच करने के बाद यह पाया गया कि वह पानी सिंचाई के लिए भी ठीक नहीं है, उसके काबिल वह पानी नहीं रह गया है, नहाने और पीने के इस्तेमाल करने की बात तो दूर रही। उस से अगर सिंचाई की जाए तो पौधों को बहुत नुकसान हो सकता है। यह हालत कई जगहों पर है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि गंगा के पानी की कई जगहों पर जांच की गई तो यह पाया गया कि बहुत सी जगहों पर इतना खराब वह पानी हो गया है कि पीना और नहाना तो दूर रहा, उससे सिंचाई भी नहीं कर सकते और प्रदूषण की वजह से पानी के अन्दर जो आक्सीजन का कन्टेन्ट होता है, वह भी डेमेज हो गया है और आक्सीजन कन्टेन्ट के डेमेज हो जाने के कारण पानी पीने लायक नहीं रह जाता है और वह जहरीला हो जाता है। गंगा का पानी बरौनी के पास इसी हालत में पहुंच गया है और उसका आक्सीजन कन्टेन्ट काफी डेमेज हो गया है उसको बहुत इरोजन हो गया है। वह पानी पीने के लायक नहीं रह गया है और कानपुर के पास कुछ किलोमीटर एरिया में मछलियां बिल्कुल ही नष्ट हो गई हैं वहां पर पानी इतना दूषित हो गया है कि उस का इस्तेमाल पीने के काम में या किसी भी जीव-जन्तु के इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। इस तरह की पानी में खराबी पैदा हो गई है।

इस के बारे में मेरा एक मुख्य प्रश्न माननीय मन्त्री जी से यह होगा कि क्या वे ऐसा कानून बनान जा रहे हैं, जिस से बड़े-बड़े नगरों का पानी, जिन के किनारे से नदियां हो कर गुजरती हैं, बिना साफ किये नदियों में नहीं डाला जाएगा। जहां पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की फैसेलिटीज जब तक न हों, उस गन्दे पानी को नदियों में नहीं डाला जाएगा, क्या इस प्रकार का कोई कानून आप बनाने जा रहे हैं।

जहां तक मेरा सवाल है, मैं आप के

माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून तत्काल बनाया जाना चाहिए ताकि गन्दे नालों का पानी या जूते के कारखानों का पानी या चमड़े के कारखानों और तमाम रसायनिक कारखानों का गन्दा पानी, जो बिल्कुल जहरीला हो जाता है, वह ठीक से शुद्धीकरण किए बिना नदियों में न डाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह बहुत अनुचित बात है क्योंकि इस से धीरे-धीरे सारी नदियों का पानी खराब हो जाएगा। आप इस तरह का एक कानून बनाइए, जिस में इस तरह का एक मैन-डेटरी प्राविजन होना चाहिए कि बिना साफ किए पानी नदियों में न डाला जाए, ताकि लोगों के ऊपर एक दबाव रहे और गन्दा पानी नदियों में न डाला जा सके।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। पानी जैसा कि राही जी ने कहा जीवन का आधार है और पानी एक संस्कृत शब्द है और शास्त्री जी मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि पानी शब्द के माइने ही जिन्दगी हैं, तो शायद यह अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए जितना ज्यादा ध्यान पानी की स्वच्छता की तरफ दिया जाएगा, उतना ही राष्ट्र के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने देश की नदियों के पानी के बारे में और पानी की सफाई के बारे में अपने सुझाव दिये हैं। मैंने बड़ी संजीदगी के साथ उनके सुझावों को नोट किया है परन्तु आज की बहस, श्री राम लाल राही ने जो नोटिस दिया था, का दायरा बहुत सीमित है। इसलिए सब से पहले मैं एक बात की क्षमा मागूंगा कि बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए गए, जिन का इस चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है और उन के बारे में मेरे लिए कुछ कहना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। 50 प्रतिशत से ऊपर माननीय सदस्यों के ऐसे सुझाव हैं, जोकि आज की चर्चा के बाहर हैं।

उसके लिए तो अलग से डिपार्टमेंट आफ एन्वायरमेंट है। राज्य सरकारों के शासन में जो चीजें आती हैं, जिनके लिए हमें सुझाव दिये गए हैं, वे हम उनको भेजेंगे ताकि वे उनकी ओर ध्यान दे सकें।

राही जी की चर्चा का जो विषय था, वह तीन मुद्दों पर है—

(i) Measures to prevent dirty water flowing into Yamuna due to inadequate sewer arrangements ;

(ii) also findings of the survey by the Central Water Pollution Control Board which appeared in Hindi dailies "Nav Bharat Times" and "Hindustan" have been ignored ; and

(iii) measures to prevent the diseases caused by polluted drinking water.

राही जी ने जितने बड़े-बड़े मुद्दे उठाये थे उनका जवाब मेरे सहयोगी ने बड़ी अच्छी तरह से दिया। माननीय सदस्यों ने जिन चीजों का उल्लेख किया है, उनके लिए मेरे पास पर्याप्त सूचना है, उसके मुताबिक मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं।

[श्री बूटा सिंह]

शास्त्री जी ने तीन-चार प्वाएंट उठाए हैं कि पीने वाले पानी में कीड़े होते हैं और ऐसे पानी को माननीय सदस्य यहां भी दिखाते रहे हैं। इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि जो मेन वाटर सप्लाई है, जिसका उल्लेख मेरे सहयोगी भाई उस्मान जी ने किया था, उससे इसका कोई सम्बन्ध है। चाहे हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट हों, चाहे वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट हो, वहां से जो पानी सप्लाई होता है उसकी स्वच्छता 24 घंटे नियंत्रण में रहती है। उसके आगे जब पानी सप्लाई हो कर चला जाता है, चूंकि जो मेन्स हैं वे ऐसी जगहों पर हैं कि हो सकता है कि वहां कोई दूषित मादा उसमें चला जाता हो। आपके घरों में जो ओवर हेड टैंक हैं, उनमें भी कोई चूहा या बिल्ली गिर जाता हो। इन चीजों के लिए ये मोर्स जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसलिए कोई कीटाणु या कोई और चीज पानी में आ जाए तो उसमे यह सोचना कि मेन से जो वाटर सप्लाई होता है उसमें कोई दूषण है, मैं समझता हूं कि यह अन्याय होगा। उसमें कोई दूषण नहीं है।

जैसा मेरे सहयोगी ने कहा कि वहां का पानी चौबीस घंटे नियंत्रण में रहता है और उसके सेम्पल लिये जाते हैं। वे सेम्पल्स केवल विभागीय प्रयोगशाला में ही नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि जो दूसरी स्पेशल टेक्नीकल लेबोरेटरीज हैं, जो कि तीन-चार हैं, जिनके बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता है, उनके पास भी भेजे जाते हैं ताकि वे भी पानी का निरीक्षण कर अपनी स्वतन्त्र रिपोर्ट हमें दे सकें। वहां से आज तक कोई ऐसा परिणाम हमें नहीं मिला है जिसमें यह कहा गया हो कि जो मेन वाटर सप्लाई है उसमें किसी किस्म का दोष है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बड़ी गंभीरता के साथ बार-बार जिक्र किया जो कि स्वाभाविक भी है कि जो गन्दा पानी, मल-मूत्र बारिस की वजह से बह कर यमुना में आ जाता है वह इस पानी में शामिल हो जाता है। जैसा कि बताया गया कि वजीराबाद के ऊपर के कोई रेलवे लाइन है जो कि यमुना तट के पास हो। जितनी भी रेलवे लाइन दिल्ली या दिल्ली के बाहर से आती है वे वजीराबाद के नीचे की ओर से आती हैं। इसलिए यदि बारिस के दिनों में कोई मल-मूत्र आता भी होगा तो वह वजीराबाद के नीचे आता होगा। उसकी कोई मदालखत हमारे मेन वाटर सप्लाई के साथ नहीं है।

श्री राम लाल राही : जो लोग दिल्ली से आगे यमुना नदी के किनारे रहते हैं, क्या वे इस दोष से बच सकते हैं ?

श्री बूटा सिंह : मैंने आपसे पहले ही क्षमा मांगी थी फिर भी मैं कहता हूं कि जितना पानी ट्रीट होने के बाद दिल्ली से निकलता है और मान लो कानपुर तक जाता है क्या वह पानी ट्रीटिड नहीं रहेगा ? क्या रास्ते में पड़ने वाली सेण्ड उस वाटर को ट्रीट नहीं करेगी ? कई-कई जगह तो पानी ट्रीटिंग वाटर से भी स्वच्छ होता है। उसके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, फिर भी आपने जो यह प्रश्न उठाया है उससे मैं सहमत हूं।

चाहे कानपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे छोटे से छोटा

नगर क्यों न हो, सब में रहने वालों का जीवन महान् है। किसी व्यक्ति का जीवन महान् इसलिए नहीं हो जाता कि वह व्यक्ति महान् है। चाहे कोई निम्न वर्ग का ही व्यक्ति क्यों न हो, जीवन सबका एक-सा है और महान् है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं चूंकि दिल्ली में महान् लोग रहते हैं इसलिए उन्हें अच्छा पानी मिलना चाहिए और कानपुर में या और कहीं महान् लोग नहीं रहते है इसलिए उन्हें अच्छा पानी नहीं मिलना चाहिए।

पानी प्रभु की ऐसी देन है जो सबको एक समान मिलना चाहिए। वायु और पानी ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको एक जैसा स्वच्छ और साफ जल मिलना चाहिए। इसलिए जो संशय जाहिर किया गया है वह आज के विषय के मुताबिक रेलीवेंट नहीं है परन्तु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

रावत जी ने इन्डस्ट्रियल पोल्यूटेड इफ्लुएंट्स के बारे में बताया कि उससे पानी खराब होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 17 ऐसे नाले इन्डस्ट्रियल पानी को यमुना में लाते हैं और वे सारे के सारे वजीराबाद से नीचे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। उनको इस तरह से नदी में नहीं आने देना चाहिए। उसके लिए हमारी तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वजीराबाद से नीचे यमुना के उस हिस्से में पानी को दूषित करने का माद्दा उसमें न आ सके। इसके लिए हमारे पास योजनाएं हैं —

"At present, DWS and SDU treat 152 MGD of sewage, 140 MGD at the 3 sewage plants treatment plants located at Okhla, Keshavpur and Coronation pillar and 12 MGD through various oxidation ponds. It is proposed to augment the sowage capacity to 350 MGD This is proposed to be achieved by augmenting they capacity of the existing sewage treatment plants at Okhla and Keshavpur by setting up two new sewage treatment plants one at Rithala and the other at Shahdara, as per the details given."

I do not want to take much of your time. These are the details. A very well-planned programme has been fixed. We are already seized of the matter and we are following it with all the seriousness.

श्री रामलाल राही : ट्यूबवैल बनाने के बारे में क्या कहना है ?

श्री बूटा सिंह : ट्यूबवैल के बारे में जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि हमने रेनीवेल्स कायम किए हैं —

"Construction of six Ranney wells is in progress. These Ranny wells will yield 15 MGD of water., Two Ranney wells have been commissioned and the remaining four Ranney wells will be completed progressively by 1983."

अभी थोड़े दिनों में ही ये पूरे हो जाएंगे। माननीय सदन मे कुओं के पानी दूषित होने के बारे में भी कहा है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 5-10 फुट पर भी पानी मिल जाता है लेकिन इसके लिए 80 फुट नीचे तक जाते हैं और वहां से 20-25 फुट के डायमीटर से पाइप लगाकर उससे पानी एकत्र करते हैं। वह पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है और उसको आप भी पी सकते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यह प्रश्न मैंने ही उठाया था। क्या इस पानी की भी जांच की जाती है ?

श्री बूटा सिंह : पानी की जांच की जाती है ताकि उसमें किसी किस्म की कमी न आए।

रावत जी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा बोर्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए सेन्ट्रल वाटर पोल्यूशन बोर्ड है कंट्रोल बोर्ड है। यह इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि वाटर सप्लाई में किसी किस्म का प्रदूषण न हो।

दूसरी नदियों के बारे में सवाल उठाया गया। इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए। जितने में भी आज प्रश्न उठाए गए हैं सारे प्रशंसनीय हैं।

यह जो हमारा डिपार्टमेंट आफ एन्वायरमेंट है, उनके पास सीधा पत्र व्यवहार करें तो प्रश्न हल करने में सहायता मिलेगी। गंगा और यमुना के पानी के बारे में श्री हरिकेश बहादुर जी ने कहा कि यमुना का पानी सारी दुनिया की नदियों से खारा है। मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके। हम तो यह मानकर चलते हैं कि गंगा और यमुना का पानी दुनिया की तमाम नदियों से पवित्र है।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या समाचार पत्रों में छपी खबर की ओर सरकार का ध्यान गया है ?

श्री बूटा सिंह : इसको मैं देखूंगा। यह हमारे पास है। इन दोनों नदियों के बारे में भ्रम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भारत की संस्कृति निर्भर है। हमारे वेदों और शास्त्रों में भी इनकी स्तुति लिखी गई है और आज हम यह कह दें कि इनका पानी खारा है तो मैं समझता हूं यह नदियों के साथ बेइन्साफी है।

श्री रामलाल राही : जब समाचार पत्रों में निकला तो सरकार को कन्ट्राडीक्ट करना चाहिए था ताकि जनता को पता चल सके।

श्री बूटा सिंह : शास्त्री जी ने कहा कि ह्यूमन बाडीज को नदी में बहाया जाता है। यह हमारे देश की संस्तुति है है क्यों कि हम जल-प्रवाह करना समझते हैं आदमी तभी दुर्गापुरी में जाता है जब गंगा और यमुना में शरीर को निरस्त किया जाए। एक बात कहना चाहूंगा। यमुना का पानी पीने के लिए जो दिया जाता है, वह भी उस हिस्से से लिया जाता है, जहां नीचे चलकर घाट मिलते हैं। वजीराबाद के ऊपर कोई ऐसा घाट नहीं है, जहां पर डेड बाडीज को डिस्पोज किया जाता है। काफी दूर तक यमुना के साथ-साथ आपकी कृपा से हम इलैक्ट्रानों में जाते हैं तो कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। इसलिए किसी किस्म का संदेह नहीं होना चाहिए कि यमुना का पानी दूषित है। दिल्ली में जो ट्रीटमेंट करके पानी सप्लाई करते हैं, उनमें इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं कि दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ और साफ पानी दिया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned to re-assemble tomorrow at 11.00 A.M.

18.37 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 8, 1983/Agrahayana 17, 1905 (Saka)

Printed at : Gupta Printing Works, Delhi-6.